

उल्लंघन पत्र

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002  
ई मेल:- [ro.ajmer@ibm.gov.in](mailto:ro.ajmer@ibm.gov.in)



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines.  
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

स: राज अजम-4/क्वार्टर-फेल्सपार-2

अजमेर दिनांक -30/7/2013

प्रेषित श्री ओम प्रकाश तेला  
चोकरी मोहला, पोस्ट- नासीराबाद,  
जिला-अजमेर -305601

विषय: राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित आपकी कालत खेड़ा क्वार्टर फेल्सपार खान 4.99 हे में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 22RAJ 01296 )

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24/07/2013 को उपरोक्त खान की खनन की योजना के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 संशोधित 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- 13(1) Mining operations have not been carried out as per provision of approved scheme of mining dated 11/2/2009 as mentioned below:-
- Waste material /OB have not been dumped as per earmarked location North part of lease , near lease boundary line CD.
  - It was proposed to plant 50 number of saplings each year but few saplings have been noticed in mining area.
  - Mica scrap /flanks recovered during mining operations have not been stacked at one place properly.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) and 45 (7)(1) के अंतर्गत (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बाबुलाल गुर्जर)  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता,, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबुलाल गुर्जर)  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक